Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में उप स्वास्थ्य केन्द्र लिचाना व गोगोर की ए.एन.एम. (दो लोकसेवक) 03 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 जनवरी, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना तहसील नांवा एवं ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर तहसील नांवा जिला नागौर को परिवादी से 03 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे भाई की पत्नी के पुत्री जन्म होने पर राजश्री योजना का लाभ लेने से संबंधित कागजात बनाने की एवज में राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना की ए.एन.एम. द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर की ए.एन.एम. के लिए 03 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के निर्देशन में एसीबी की नागौर इकाई की **पुलिस निरीक्षक श्रीमती सुशीला बिश्नोई** मय टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, लिचाना तहसील नांवा जिला नागौर एवं ए.एन.एम. राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगोर तहसील नांवा जिला नागौर को परिवादी से **03 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में दोनों आरोपियाओं से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp*** ***हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।